न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 221 **दायर दिनांक : 17.11.2014**

1. लालचन्द } पुत्रगण
2. कृष्णलाल } रामकरण
3. मुखराम (मृतक) पुत्र श्री रामकरण
   3/1. दुली देवी पत्नी श्री मुखराम
   3/2. विनोद पुत्र श्री मुखराम
   3/3. सुभाष पुत्र श्री मुखराम
   3/4. मोहिनी पुत्री श्री मुखराम
4. भगवानाराम } पुत्रगण
5. दलीप } रामकरण

अकवाम जाट निवासीयान ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. कमला पुत्र श्री रामरकण पत्नी श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी चक 9 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. सलोचना पुत्री श्री रामकरण पत्नी श्री भादरराम जाति जाट निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. लाच्छा पुत्री श्री रामकरण पत्नी श्री केसराराम जाति जाट निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी बेवा बृजमोहन
2. श्रवण कुमार
3. महावीर प्रसाद } पुत्रगण बृजमोहन
4. गोपाल कृष्ण
5. पंकज कुमार

अकवाम राठी निवासीयान राठी चौक तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) बहैसियत भू–धारक प्रतिनिधि।
7. उप–पंजीयक, सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.1955

उपस्थितः

1. श्री गुमानाराम पूनियॉ व भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 8
2. श्री सुभाष बिशनोई, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

निर्णय **दिनांक : 02/03/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, संक्षिप्त विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद घोषणा प्रस्तुत कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रोही ठेठार के खाता संख्या 27/142 में श्योजी वल्द शेरा कोम जाट ख.न. 49 में 19.01

क्रमशः 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

बीघा व ख.न. 51 में 42.11 बीघा कुल 61.12 बीघा खातेदारी दर्ज की जो उनकी मृत्यु उपरांत डालू, रामकरण पिसरान शेरा के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कागजात हुई। यह सम्पत्ति डालू, रामकरण के नाम थी किन्तु पिता से प्राप्त होने से सहदायी सम्पत्ति थी जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि में 1/9 हिस्सा प्रत्येक सहदायी सदस्य का था। रामकरण ने भूमि अप्रार्थीगण को विक्रय नहीं की उन्हें विक्रय का अधिकार था। उक्त भूमि में से 9.00 बीघा अर्थात ख.न. 51/1 में 42.11 बीघा में से 9.00 बीघा अर्थात 2.277 है. बृजलाल पुत्र श्री गंगाजल के नाम गल्त अंकित है विक्रय पत्र अपालनीय है प्रार्थीगण के हितों पर बेअसर है। वर्तमान में यह भूमि रोही ठेठार के जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता संख्या 4 नया पुराना 40 के ख.न. 49 में 4.820 है. व ख.न. 51 में 10.765 है. कुल 15.585 है. बारानी भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसमें रामकरण के नाम 5.516 है. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम 4.554 है. व अप्रार्थीगण सं. 6 ता 7 के नाम 5.515 है. भूमि खातेदारी दर्ज है। विक्रय बहक बृजलाल जिसमें अप्रार्थीगण 1 ता 5 जायज वारिस है, सहदायी सम्पत्ति होने से विक्रय प्रार्थीगण के हकूक पर अप्रभावी बताते हुये उक्त भूमि की घोषणा वाद के माध्यम से वादीगण ने अपने आप को उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने की प्रार्थना की व वाद चलन के दौरान अप्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रवेश ना करें भूमि हस्तांतरित ना करें, इस अमर की निषेधाज्ञा चाही। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी को इकतरफा तौर पर सुनकर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश आगामी तारीख पेशी तक दिया गया व अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये किन्तु उन्होनें जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया उनका जवाब बंद कर तर्क सुने गये।

अभिभाषक **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तरण दिनांक 04.10.1955 अनुसार रोही ठेठार तहसील सूरतगढ़ के ख.न. 49 में 19.01 बीघा व ख.न. 51 में 42.11 बीघा कुल 61.12 बीघा श्योजी वल्द शेरा की थी जो उनकी मृत्यु उपरान्त इनके पुत्रो में डालू, रामरकण पिसरान श्री श्योजी को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुईं। प्रार्थीगण हिन्दु सहदायी परिवार के सदस्य है व उक्त भूमि में जन्म से ही हक रखते है। प्रथमतः हस्तांतरण पत्र बहक बृजलाल किया नहीं गया यदि किया गया तब भी वह प्रार्थीगण के हकूक पर बेअसर है क्योंकि रामकरण का उक्त भूमि में 42.11 बीघा में से 1/2 में 1/9 हिस्सा 2 बीघा से अधिक नहीं बनता। अधिकारों का निर्धारण वाद में होना है तब तक भूमि हस्तांतरित होने पर प्रार्थीगण के मामले पर असर होगा। भूमि अंकित व हस्तांतरण अधिकारातीत विवादित होने से वाद चलन के दौरान यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन ता फैसला वाद आदेशित करने की प्रार्थना की गई। प्राथमिक रूप मामला बहक प्रार्थीगण बनना सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः 3 पर.....

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया कि अप्रार्थीगण अंकित काश्तकार है मौका पर उनका कब्जा काश्त है। हस्तांतरण पंजीबद्ध के आधार पर अप्रार्थीगण मौका पर कब्जा काश्त में है व स्वयं रामकरण द्वारा अपने जीवन काल में हस्तांतरण को कभी विवादित नहीं किया। प्रार्थीगण के जन्म से पूर्व हस्तांतरण हो चुका था जो आज भी प्रभावकारी है, अंकित काश्तकार को काश्तकारी के अधिकार के उपभोग व उपयोग से स्थगन के माध्यम से वंचित किया जाना उचित नहीं है इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त कर पूर्व में जारी स्थगन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के योग्य अभिभाषक के तर्क सुनने के उपरान्त पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में पठन व मनन किया यह सही है कि वाद ग्रस्त सम्पत्ति वादीगण के पिता रामकरण को विरास्तन प्राप्त हुई थी बाद प्राप्ति अंकित काश्तकारों ने 4.554 है. भूमि हस्तांतरित की जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित है। उक्त हस्तांतरण विवादित वाद के माध्यम से किया गया है वाद चलन के दौरान हस्तांतरण धारा 52 सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम से प्रभावित है यह हस्तांतरण अदालत की स्वीकृति से ही किया जाना उचित है, जहॉ तक कब्जा काश्त का प्रश्न है वाद ग्रस्त भूमि पर अंकित काश्तकार का कब्जा प्राथमिक रूप से माना जाने योग्य है इस सिद्धांत का पालन करने पर अप्रार्थीगण का कब्जा अंकित भूमि की सीमा तक माना जाने योग्य है। विपरीत दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 रोही ठेठार के ख.न. 49 की 4.820 है. ख.न. 51 की 10.765 है. कुल 15.5850 है. भूमि में अपने नाम अंकित 4.554 है. भूमि को ता फैसला वाद अदालत के आदेश के बिना हस्तांतरित बजरिये विक्रय पत्र ना करें। पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.11.2014 इसी अनुसार संशोधित किया जाता है।

आदेश सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.03.17 14:46:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: